ૐકાર ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ

'માનવસેવા એ જ ઈશ્વરસેવા'

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

वर्ष-6 अंक : 61

सहयोग शुल्क : रु. 1 / जनवरी : 2022

दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

❝ दिव्यांगों के सेवायज्ञ में सहभागी होना हमारा सौभाग्य है। ❞

– संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

❝ सब मिलकर दिव्यांग भाई-बहनों के जीवन में सुधार का काम करें... ❞

– प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेबल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

सिविल सर्फर का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

संपादकीय

"जिंदगी खेलती भी उसीके साथ है, जो खिलाडी बेहतरीन होता है । दर्द सब के एक से है, मगर हौंसले सब के अलग-अलग है । कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है...!!"

कभी-कभी कुछ शारीरिक कमीयों की वजह से इंसान भीतर से टूट जाता है । विकलांगता उन्हें अंदर तक जकजोर कर रख देती है । लेकीन हंमेशा एक बात याद रखें की यह जीवन एक संघर्षभरी कहानी ही है । कीसी को ज्यादा संघर्ष तो कीसीको कम संघर्ष करना ही पडता है । और जो संघर्ष करता है वही एक दिन सफल होकर आगे भी आता है । हर एक संघर्ष मनुष्य को कुछ न कुछ सिखाता जरुर है । इश्वरने प्रत्येक इंसान को कुछ न कुछ कर दिखाने की काबेलियत अवश्य दी होती है । हमे बस हमारी काबेलयत को पहचानना है, उसे निखारने में महेनत करनी है और एक दिन यह कडी महेनत जरुर रंग लाती है । जिंदगी में चाहे कीतनी भी चुनौतीयों का सामना करना पडे लेकीन हौंसला तो हंमेशा ऐसा ही रखना .....

"थोडा डुबूंगा, मगर मैं फीर तैर जाउंगा
ऐ जिंदगी, तु देख, मैं फीर जीत जाउंगा"

जिंदगी के हरएक संघर्षपुर्ण कदम हमे एक महत्वपूर्ण बोधपाठ देकर जाता है । इसलीए जिंदगी में चुनौतियों को भागना नही है बुलंद हौंसले के साथ उनसे लडना है और जो डंटकर खडा रहता है वही एक दिन जीतकर उभर आता है ।

आप सभी को निवेदन है की **"दिव्ययांग सेतु"** पत्रिका में प्रकाशित करने हेतु आपके आसपास दिव्यांगजनो के अनुलक्ष में हुए कार्यक्रम या कोई दिव्यांग व्यक्ति की जानकारी का ब्योरा भी आप हमें भेज सकते है । हम इसे प्रकाशित करेंगे ।

आओ आप भी दिव्यांगजनो के इस सेवायज्ञ में हमारा साथ दें...

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

जनवरी - 2022, पृष्ठ संख्या - 16
वर्ष - 6 अंक - 61

प्रेरणास्त्रोत और संपादक

संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

सह-संपादक

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

संपर्क-सूत्र

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

मुद्रक

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण

बेंचमार्क दिव्यांगजन से तात्पर्य दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016), में उल्लिखित 21 प्रकार के सभी दिव्यांगजन जैसे गति विषयक या लोकोमोटर दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ उपचारित व्यक्ति, बोनेपन वाले, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एसिड हमले से पीड़ित, नेत्रहीन, कम द्रष्टि, बधिर, ऊंचा सुनने वाले, स्पीच एवं लैंग्वेज दिव्यांगता वाले, बौद्धिक दिव्यांग, विशिष्ट अधिगम दिव्यांग, ओटिस्टिक, मानसिक रुग्ण, बहू स्कलेरोसिस, पार्किसन रोग वाले, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज एवं बहु - दिव्यांग व्यक्तियों से है, जिनके विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र अथवा यूडीआईडी कार्ड में स्थाई दिव्यांगता 40त्न अथवा इससे अधिक अंकित किया गया हो अथवा किसी अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा स्थाई दिव्यांगता 40त्न अथवा अधिक प्रमाणित किया गया हो ।

उपयुक्त (सूटेबल) नौकरियों /पदों की पहचान

दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रुप से स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 के तहत बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण हेतु इनके सूटेबल पदों की पहचान और इसके लिए संबंधित दिव्यांग जनों के प्रतिनिधित्व के साथ एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रावधान है ।

हाल ही में 4 जनवरी 2021 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठानों जैसे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों में दिव्यांग व्यक्तियों के सूटेबल कुल 3566 (तीन हजार पांच सौ छियासठ) प्रकार के सरकारी पदों की पहचान कर इसकी सूची जारी की गई है । इन पदों को रुप ए, बी, सी एवं डी की श्रेणियों में विभाजित किया गया है । रुप ए की श्रेणी में कुल 1046 प्रकार के पदों को, उदाहरण स्वरुप महाप्रबंधक (वित्त), सचिव, मुख्य प्रशासन अधिकारी, मुख्य अभियंता, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी इत्यादि; ग्रुप बी की श्रेणी में कुल 515 प्रकार के पदों जैसे वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय अधिक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी), पीजीटी इत्यादि को, रुप सी में कुल 1724 पदों, जैसे कार्यालय सहायक, क्लर्क सह टाइपिस्ट, मैकेनिक, बढ़ई, उद्यान पर्यवेक्षक, मुख्य रसोईया, कपड़े, उद्यान पर्यवेक्षक, मुख्य रसोईया, कपड़े धोने का प्रबंधक इत्यादि को, जबकि ग्रुप डी में

कुल 281 प्रकार के पदों, जैसे चपरासी, इटेंडेंट, लिफ्टमैन, सेमी स्किल्ड वर्कर, वार्ड बोय, वार्ड आया, दाई एवं स्वीपर इत्यादि को शामिल किया गया है ।

बेंच मार्क दिव्यांग व्यक्ति सिर्फ उन्हीं पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं, जिन पदों की पहचान संबंधित श्रेणी के दिव्यांगों के लिए सूटेबल पदों के रुप में की गई है ।

आरक्षण की प्रतिशतता

केंद्र सरकार की सेवाओं में दिव्यांगता के विभिन्न श्रेणियों के लिए कुल 4 प्रतिशत आरक्षण निर्धारत किए गए हैं । **इसका विवरण इस प्रकार है -**

क. नेत्रहीनता एवं अल्प द्रष्टि वाले दिव्यांगों के लिए 1 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं ।

ख. बधिर एवं ऊंची आवाज सुनने वाले दिव्यांगों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण ।

ग. गतीविषयक अथवा लोको मोटर दिव्यांगता, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनेपन, एसिड हमले से पीड़ित एवं मस्कुलर डिस्ट्रोफी शामिल हैं, को 1 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है ।

घ. ओटिज्म, बौध्दिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता तथा मानसिक रुग्णता एवं

च. बहु दिव्यांगता जिसमें क से घ श्रेणी के दिव्यांगता तथा डेफब्लाइंड भी शामिल हैं को 1 प्रतिशत सारक्षण दिए जाने का प्रावधान है ।

इस प्रकार यहां स्पष्ट है कि स्पीच एंड लैंग्वेज दिव्यांगता, बहू स्कलेरोसिस, पार्किसन रोग, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया एवं सिकलसेल रोग वाले बेंचमार्क दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण से अलग रखा गया है । इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण के अलावे दिव्यांगों के लिए प्रदत अन्य सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ।

सरकारी नौकरियों में आरक्षण हेतु बेंच मार्क दिव्यांगता वाले किसी भी श्रेणी विशेष के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी ।

सीधी भर्ती के मामले में आरक्षण की आपसी अदला-बदली और फोरवर्ड किया जाना

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 32 (2) के अनुसार जब कोई रिक्ति किसी भर्ती वर्ष में सूटेबल बेंचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण अथवा कोई अन्य पर्याप्त कारणवश भरी नहीं जा सकेगी तो ऐसी रिक्ति आगमी भर्ती वर्ष के लिए फोरवर्ड कर दी जाएगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी सूटेबल बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता हो तो पहले यह पांच श्रेणियों के बीच इंटरचेंज के द्वारा भरी जाएगी और केवल जब उक्त वर्ष में भी सूटेबल दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता दिव्यांगजन के अलावा किसी अन्य योग्य व्यक्ति की नियुक्ति कर रिक्त पद को भर सकेगा ।

अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति

बेंचमार्क दिव्यांगों के संबंधित श्रेणी के लिए सूटेबल पदों के रुप में पहचान की गई अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से इन्हें मना नहीं किया जा सकता । अर्थात, बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है; बशतें कि वह पद संबंधित श्रेणी के दिव्यांगजन के लिए सूटेबल के रुप में पहचाना गया हो ।

अपनी ही योग्यता पर चयनित उम्मीदवारों का समायोजन

मानदंडों में बिना किसी रिलैक्सेशन के, अपनी ही योग्यता के आधार पर, अन्य उम्मीदवारों के साथ चुने गए बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति रिक्तियों के आरक्षित भाग में समायोजित नहीं किए जाएंगे । आरक्षित रिक्तियां दिव्यांगता ग्रस्त पात्र उम्मीदवारों में से अलग से भरी जाएगी, जिनमें ऐसे बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार शामिल होंगे जो योग्यता सूची में अंतिम उम्मीदवार से नीचे होंगे परंतु, नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाए जाएंगे (यदि आवश्यक हो तो रिलैक्स्ड मानदंडों से) ।

ऐसा सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों मामलों में लागू जहां दिव्यांगों के लिए आरक्षण स्वीकार्य है ।

आरक्षण की गणना

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की गणना निर्दिष्ट पदों की संख्या के आधार पर नहीं बल्कि, कैडर में कुल रिक्तियों की संख्या के आधार पर की जाएगी । अर्थात, कैडर में दिव्यांगों के लिए पहचान नहीं किए गए पद भी इसमें शामिल होंगे । जबकि, इनकी नियुक्ति सिर्फ दिव्यांगों के लिए पहचान किए गए सूटेबल पदों पर की जाएगी ।

आरक्षण लागू करना - रोस्टरों का रखरखाव

बेंचमार्क दिव्यांगजन के लिए आरक्षण निर्धारित करने / लागू करने के लिए सभी स्थापन / एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अलग-अलग पदों के लिए श्रेणी वार 100 बिंदुओं वाला आरक्षण रोस्टर बनाए जाते हैं । अर्थात् सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह बी पदों के लिए, सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह सी के पदों के लिए, पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले समूह से भरे जाने वाले समूह डी पदों के लिए और पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले समूह डी पदों के लिए अलग-अलग एक आरक्षण रोस्टर होगा ।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए होरिजेंटल आरक्षण

पिछड़े वर्ग के नागरिकों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण को वर्टिकल आरक्षण कहा जाता है और दिव्यांग व्यक्तियों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण को होरिजेंटल आरक्षण और वर्टिकल आरक्षण आपस में मिल जाते हैं, जिसे इंटरलोकिंग आरक्षण कहा जाता है । और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित कोटे में से चुने गए व्यक्तियों को अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गो के आरक्षण के लिए बनाए गए रोस्टर में उनकी श्रेणी के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग / सामान्य वर्ग की उपयुक्त श्रेणी में रखा जाता है ।

आयु सीमा में छूट

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट इस प्रकार होगी

क. ग्रुप सी और रुप डी पदों पर सीधी भर्ती के मामलों में 10 वर्ष (अनुसूचित जातियो / अनुसूचित जनजातियों के लिए 15 वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए 13 वर्ष).

ख. ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऐसे पदों के मामले में जिन पर सीधी भर्ती खुली प्रतियोगी में जिन पर सीधी भर्ती खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नहीं की जाती 5 वर्ष (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 10 वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए 8 वर्ष)

और

ग. ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों पर खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती के मामले में 10 वर्ष (अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों के लिए 15 वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए 13 वर्ष)

आयु सीमा में निर्दिष्ट छूट लागू रहेगी, भले ही पद आरक्षित हो अथवा नहीं बशर्ते कि पद, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सूटेबल माना गया हो ।

उपयुक्तता मानदंडों में छूट

यदी दिव्यांग व्यक्ति के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानदंडों के आधार पर इस श्रेणी के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के लिए मानदंडों में ढील देकर इस श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, बशर्ते कि वे ऐसे पद अथवा पदों के लिए सूटेबल हैं ।

स्वास्थ्य परीक्षा

मूल नियमावली के नियम 10 के अनुसार, सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नए व्यक्ति को अपनी प्रारंभक नियुक्ति के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है । दिव्यांग व्यक्तियों की, एक विशिष्ट प्रकार की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा धारित किए जाने हेत उपयुक्त समझे गए पद पर नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य परीक्षण के मामले में संबंधित चिकित्सा अधिकारी अथवा बोर्ड को इस संबंध में यह पूर्व सूचित किया जाएगा कि यह पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा धारित किए जाने के लिए उपयुक्त माना गया है और तब उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।

परीक्षा शुल्क और आवेदन शुल्क से छूट

दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में विहित आवेदन शुल्क और परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है । यह छूट केवल उन्हीं व्यक्तियों को उपलब्ध होगी जो यूडीआईडी कार्ड अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपेक्षित दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करते हैं ।

4 जनवरी – विश्व ब्रेल दिवस

लुइस ब्रेल जिन्होंने लाखों दृष्टिबाधितों को दिखाई दुनिया

बहादुर वे नहीं होते जो अपनी कमियों को कमजोरी समझकर जीते हैं, बहादुर वे होते हैं जो कमियों को चुनौती मानकर जीने की नई राह हासिल करते हैं। दुनिया में लाखों लोग एसे हैं जिनमें कुछ न कुछ कमियां हैं पर, बहुत कम लोग हैं जो कमियों को जीवन की बाधा न बनने देकर कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि उनकी कमियां खामोशी के साथ उनके आगे नतमस्तक हो उठती हैं। लुइस ब्रेल एक ऐसा ही नाम है जो एक हादसे में अपनी आंखों की रोशनी गंवाने के बावजूद लाखों दृष्टिबाधितों को दुनिया दिखाने का सहारा बने।

लुइस ब्रेल का जन्म ४ जनवरी १८०९ को फ्रांस के एक छोटे से कस्बे कुप्रे में हुआ था। इनके पिता साइमन रेले ब्रेल घोड़ों की काठी बनाने का काम करते थे। लुइस के परिवार में चार भाई-बहन थे, जिसमें लुइस सबसे छोटे थे। लुइस जब मात्र ३ वर्ष के थे तब उनकी आंख में नुकीला औजार लग जाने से गंभीर चोट आई थी जिसके इन्फेक्शन से उनकी एक और फिर कुछ समय बाद दूसरी आंख की रोशनी भी पूरी तरह चली गई। दुनिया को जानने की जिज्ञासा और पढ़ाई में लुइस की दिलचस्पी को देखते हुए लुइस के पिता साइमन ने उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस के नेशनल 'इंस्टीट्यूट' फॉर ब्लाइंड यूथ' में दाखिला दिला दिया। यहां लुइस ने मैथ्स, फिजिक्स आदि विषयों को अच्छी तरह समझ लिया था।

शिक्षा के दौरान लुइस की मुलाकात फ्रांसीसी सैनिक 'चार्ल्स बार्बियर' से हुई। बार्बियर ने लुइस को सैनिकों के लिए बनी नाइट राइटिंग 'मून टाइप' लिपि के बारे में बताया जिसे अंधेरे में पढ़ा जा सकता था। यह लिपि कागज पर उभरी हुई थी जिसे १२ वाइंट्स से अलग-अलग ध्वनियों के आधार पर कोडमय किया गया था। बार्बियर की बताई लिपि से लुइस काफी प्रभावित थे और इसी आधार पर उन्होंने मात्र १६ साल की उम्र में एक ऐसी लिपि की रचना की जो दृष्टिबाधितों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी।

लुइस की बनाई लिपि बार्बियर की उल्लेखित लिपि की कई जटिलताओं को दूर करती थी और उससे काफी सरल और आसानी से समझ में आने वाली थी। बार्बियर की लिपि में जहां १२ बिन्दुओं को ६-६ की पंक्तियों में रखा गया था और जिसमें विराम चिन्ह, संख्या और गणितीय चिन्हों का समावेश नहीं हुआ था।

वोइस टू दिव्यांग

लुइस ब्रेल ने अपनी लिपि में सिर्फ ६ बिन्दुओं का प्रयोग किया और ६४ अक्षर और चिन्ह बनाए, इस लिपि में संगीत के नोटेशन और विराम चिन्हों को भी शामिल किया गया। लुइस ब्रेल की खोज इस नई लिपि को ब्रेल लिपि का नाम दिया गया। इस लिपि में लिखी पहली पुस्तक १८२९ में प्रकाशित हुई।

आंखे न होने के बावजूद लुइस ब्रेल ने वो आविष्कार कर दिखाया था जिसकी बदौलत हजारों दिव्यांग न सिर्फ स्कूल कालेजों में दूसरे विद्यार्थियों की तरह पढ़ लिख पाए बल्कि आत्मविश्वास के साथ दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सके। यह ब्रेल लिपि ही थी जिसकी सहायता से आज नेत्रहीन नौकरी, व्यवसाय इत्यादि वे सभी काम कर पा रहे हैं जिनके बारे में कभी उनके लिए सोचना भी मुमकिन नहीं था।

बात करते हैं आज के तकनीकी युग की तो उसमें भी दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि ही काम आ रही है। इस लिपि के प्रयोग से कई तकनीकी गैजेट्स बी टच सेलफोन, स्मार्टवॉच इत्यादि बनाए जा चुके हैं जिनके स्क्रीन पर ब्रेल लिपि का प्रयोग किया गया है, जिसके जरिए दृष्टिबाधित समाज की मुख्यधारा से जुड़े हुए हैं।

लुइस ब्रेल की खोज उनकी ब्रेल लिपि किसी देश विशेष के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के दिव्यांगों के लिए वरदान साबित हुई है। भारत सरकार ने लुइस ब्रेल के जन्म दिन पर उनके सम्मान में ४ जनवरी २००९ को एक डाक टिकिट भी जारी किया था। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने हमारी करेंसी में ब्रेल लिपि के विशेष चिन्हों को शामिल किया जिनसे नेत्रहीनों को असली और नकली नोट की पहचान करने में मदद मिलती है।

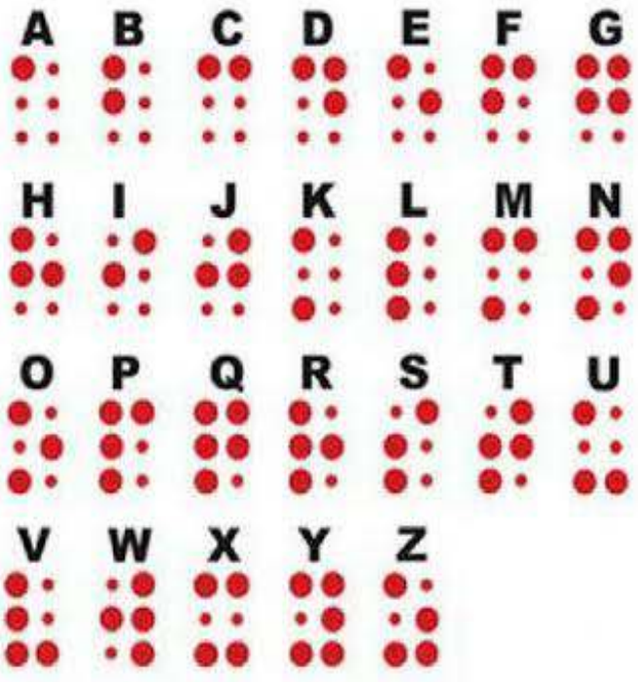

दमोह की दो बेटियां एमपी की दिव्यांग फुटबॉल टीम में हुई शामिल

कुछ कर दिखाने की चाहत हो और मन में इरादा पक्का हो तो हर काम आसान भी लगने लगता है । कुछ ऐसा ही इरादा है दमोह की दिव्यांग बेटियों का जिन्होंने प्रदेश की फुटबोल टीम अपना स्थान बना लिया है और अब नेशनल के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

शहर में दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित स्नेह सरोवर स्कूल की दो बेटियां स्पेशन ओलपिंक भारत नेशनल द्वारा आयोजित वर्चुअल फुटबोल स्किल प्रतियोगिता में प्रदेश की दिव्यांग फुटबाल टीम में चयनित हुई है । हालांकि यह पूरी चयन प्रक्रिया वर्चुअल तरीके से की जा रही है, जिसमें पूरे देश के दिव्यांग खिलाड़ियों को शामिल किया गया है । प्रदेश की फुटबोल टीम में चयनित होने के बाद प्रदेश की सात खिलाड़ियों को नेशनल टीम में शामिल होने की प्रतियोगिता में शामिल कि या गया था । जिसमें वर्चुअल दूसरे राउंड के दौरान पांच बालिकाएं चयनित हुई जिसमें दो बेटियां दमोह की हैं । अब पांच बेटियों की चयन प्रक्रिया जारी है । इसमें से जिसका प्रदर्शन सबसे बेहतर होगा उसे नेशनल टीम में शामिल कि या जाएगा ।

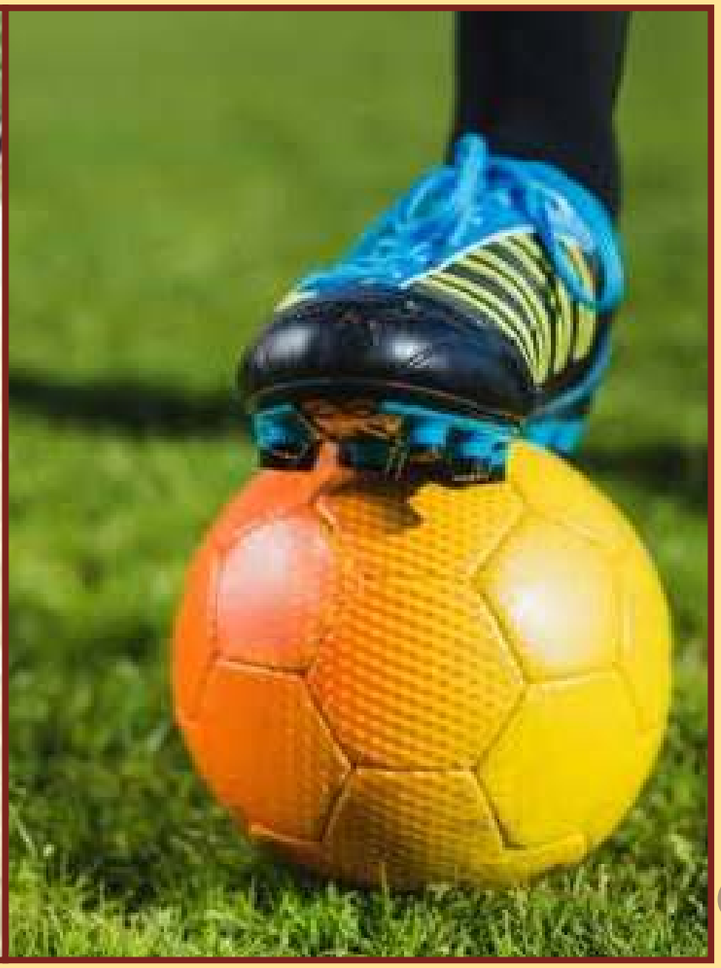

दिव्यांग तैराक सत्येन्द्र ने बनाया ओर एक रिकोर्ड

यदि कुछ काम करने का हौसला हो तो कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं होती । इंदौर के पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह के शरीर में कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं करता । मगर इसके बावजूद उन्होंने अरब सागर में धरमतर से गेटवे ओफ इंडिया (मुंबई) तक 36 किमी की दूरी तैरकर पार करते हुए रिकार्ड बनाया । उन्होंने यह दूरी 10 धंटे और तीन मिनट में पूरी की । इंदौर में वाणिज्यकर विभाग में पदस्थ सत्येंद्र ने बताया कि हमारी रिले टीम ने रात को 1.23 बजे से तैरना शुरु किया था । टीम का नेतृत्व मैं कर रहा था । महाराष्ट्र तैराकी संघ ने हमें प्रमाण पत्र दिया है । यह पहली रिले टीम है जिसने इस चैनल को तैरकर पार किया है । टीम में मेरे अलावा बंगाल के पैरा तैराक रिमो शाह भी थे । दो अन्य सामान्य तैराक टीम में थे, जिसमें असम के एल्वेस हजारिका और महाराष्ट्र पुलिस के गणेश शामिल हैं ।

इसलिए रात को की तैराकी

सत्येंद्र ने बताया कि रात को तैराकी इसलिए करते हैं क्योंकि पानी शांत रहता है और मछलियों का खतरा कम होता है । हालांकि मछुआरों के जाल का खतरा रहता है । जाल में फंसने से तैराक डूब सकते हैं । सुरक्षा के लिए एक बोट आगे चलती है ।

जीत चुके हैं राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार - सत्येंद्र को वर्ष 2020 में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड मिला था । वे यह पुरस्कार पाने वाले देश के पहले पैरा तैराक हैं । मूलतः भिंड के रहने वाले सत्येंद्र ने ग्वालियर में वीरेंद्र कुमार डबास के मार्गदर्शन में तैराकी सीखी ।

30 जनवरी - विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस

यह "माइकोबैक्टीरियम लेप्री" (Mycobacterium leprae) नामक बैक्टीरिया द्वारा फैलाया जाने वाला एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है । यह एक लंबे समय तक रहने वाला और लगातार बढ़ने वाला संक्रमण होता है । मुख्य रुप से यह इन्फेक्शन शरीर की नसों, हाथ-पैरों, नाक की परत और ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है । कुष्ठ रोग नसों को क्षतिग्रस्त कर देता है और त्वचा में घाव एवं मांसपेशियों में कमजोरी पैदा कर देता है ।

कुष्ठ रोग अन्य फैलने वाले रोगों व संक्रमणों के मुकाबले काफी कम संक्रामक होता है । कुष्ठ रोग के सबसे मुख्य लक्षण हैं त्वचा पर घाव बनना और तंत्रिका में सनसनी में कमी होना ।

कुष्ठ रोग से क्या लक्षण पैदा होते हैं ?

कुष्ठ रोग के शुरुआती लक्षण व संकेत पहचानने मुश्किल होते हैं और वह धीरे-धीरे विकसित हैं । अक्सर इन लक्षणों को विकसित होने में लगभग एक साल का समय लग जाता है । कुष्ठ रोग के कुछ सामान्य संकेत व लक्षण जिनमें निम्न शामिल हो सकते हैं ।

कुष्ठ रोग के शुरुआती लक्षण -

- सुन्न होना
- तापमान में बदलाव महसूस ना होना
- स्पर्श महसूस ना होना
- सुई या पिन आदि चुभने जैसा महसूस होना

कुष्ठ रोग के अन्य लक्षण -

- जोड़ों में दर्द
- त्वचा पर दबाव देने पर भी त्वचा में कोई हरकत महसूस ना होना या कम महसूस होना
- नसें क्षतिग्रस्त होना
- वजन कम होना
- त्वचा पर फोड़े या चकत्ते बनना
- त्वचा पर फफोले बनना (खासकर दर्द रहित)
- त्वचा सपाट व पीले रंग के घाव या धब्बे बनना
- आंखों संबंधी परेशानियां जैसे आंखों में सूखापन या पलक झपकना कम होना ।
- बाल झड़ना

कैसे फैलता है कुष्ठ रोग

लेप्रोसी पीड़ित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर उसके श्वसन तंत्र से निकलने वाले पानी की बुंदों में लेप्रे बैक्टीरया होते हैं । यह बैक्टीरिया हवा के साथ मिलकर दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं । स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच कर इन बैक्टीरिया को पनपने में करीब 4-5 साल लग जाते हैं । कई मामलों में बैक्टीरिया को पनपने (इन्क्यूबेशन) में 20 साल तक लग जाते हैं । प्राइमरी स्टेज पर लेप्रोसी के लक्षणों की अनदेखी करने से व्यक्ति अपंगता का शिकार हो सकता हैं । यह संक्रामक है, पर यह लोगों को छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलता है । लंबे समय तक संक्रमित व्यक्ति के साथ रहने से इससे संक्रमण हो सकता है, पर मरीज़ को यदि नियमित रुप से दवा दी जाए, तो इसकी आशंका भी नहीं रहती है ।

कुष्ठ रोग से बचाव
कुष्ठ रोग की रोकथाम कैसे करें ?

कुष्ठ रोग की रोकथाम करने के लिए उन लोगों का जल्द से जल्द परीक्षण और इलाज करना चाहिए जिन में कुष्ठ रोग होने का संदेह है या इसके होने की पुष्टि की जा चुकी है ।

- कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों जिनका इलाज नहीं चल रहा हो, लंबे समय तक उनके संपर्क में न आना कुष्ठ रोग से बचने का सबसे बेहतर तरीका है ।
- कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति और उसके परिवार को कुष्ठ रोग का इलाज करवाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा और सामुदायिक जागरुकता महत्वपूर्ण है ।
- कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों को निगरानी में रखना चाहिए ताकि कुष्ठ रोग से जुड़े किसी भी प्रकार के लक्षण व संकेत का तुरंत पता लगाया जा सके ।
- वर्तमान में कुष्ठ रोग की रोकथाम करने के लिए ली जाने वाली दवाओं का उपयोग करने के कोई मानदंड नहीं बनाए गए हैं ।
- वर्तमान में ऐसा कोई टीकाकरण भी उपलब्ध नहीं है जो सभी लोगों में कुष्ठ रोग के प्रति पूरी प्रतिरक्षा प्रदान करता है ।
- बीसीजी (BCG) समेत कुछ अन्य टीके भी हैं जो कुष्ठ रोग से कुछ हद तक बचा सकते हैं । परन्तु यह टीके कुछ लोगों को ज्यादा तो कुछ लोगों को कम सुरक्षा प्रदान करते हैं ।

कृष्ठ रोग का इलाज

आज आधुनिक चिकित्सा प्रणाली ने इतनी तरक्की कर ली है कि कुष्ठ रोग का इलाज कई वर्ष पूर्व ही संभव हो गया था । आज के समय में इस रोग की मल्टी ड्रग थैरेपी उपलब्ध है । अगर सही मुक्त होकर एक सामान्य जिंदगी जी सकता है ।

वर्तमान समय में कुष्ठ रोग का इलाज 2 प्रकार से हो रहा है । पॉसी -बैसीलरी कुष्ठ रोग (त्वचा पर 1-5 घाव का होना) का उपचार 6 माह तक राइफैम्पिसिन और डैप्सोन से किया जाता है बल्कि मल्टी-बैसीलरी कुष्ठ रोग (त्वचा पर 5 से ज्यादा घाव का होना) का उपचार 12 माह तक राइफैपिसिन, क्लॉफैजिमाइन और डैप्सोन से किया जाता है । सरकारी अस्पताल द्वारा रिहाइशी इलाकों में मौजूद स्वास्थ्य केंद्रों में कुष्ठ रोग का निःशुल्क इलाज उपलब्ध है । भारत में राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ एवं अन्य माइक्रो बैक्टीरियल रोग संस्थान का कुष्ठ रोग के क्षेत्र में अहम योगदान है ।

'कुष्ठ रोग निवारण दिवस' पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा अपने जीवनकाल में कुष्ठ रोगिों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए गए प्रयासों से सीख लेकर प्रत्येक नागरिक को कुष्ठ रोग, उसके उपचार, देखभाल और उसके रोगियों के पुनर्वास के बारे में जागृति फैलाने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए और आज सबसे ज्यादा जरुरत कुष्ठ रोग पीड़ितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की है ।

भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत को कुष्ठ रोग से मुक्त करने के लक्ष्य में सक्रिय रुप से अपनी भागीदारी निभानी चाहिए जिससे कि जल्द से जल्द भारत को कुष्ठ रोग मुक्त किया जा सके ।

गायत्री विकलांग मानव मंडल द्वारा गरीब, बेसहारा एवं दिव्यांग बहनों को सहाय दी गई

गायत्री विकलांग मानव मंडल ने 28 तारीख को शाम 4 बजे संस्था के प्रांगण में गरीब, बेसहारा एवं अपंग बहनों को सेनेटरी पैड बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया । इस कार्यक्रम में लगभग 125 बेटियों को भाजपा अध्यक्ष श्रीमती मोनिका देवी, श्रीमती शीतलबेन प्रतापराय, वरिष्ठ अधिकारी भूमि बहन और उनके कार्यकर्ता प्रतिनिधि द्वारा सेनेटरी पैड वितरित किए गए । कार्यक्रम का आयोजन नेताओं, कार्यकर्ताओं और संगठन की संस्थापक श्रीमती रुक्मणीबेन के सहयोग से किया गया। साथ ही बेटियों को कैंसर व अन्य कई बीमारियों से बचाव के लिए अपने शरीर का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखने की बात कही गई । इस कार्यक्रम में श्री सागरभाई वकील भी उपस्थित थे और उन्होंने सरकारी कानूनों और अधिकतम लाभों को कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया ।

नवजीवन चैरिटेबल ट्रस्ट और शशीकुंज दिव्यांग क्लब द्वारा "मिस्टर एंड मिस अहमदाबाद दिव्यांगजन प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया

मुंबई में आयोजित मिस्टर एंड मिस इंडिया कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से नवजीवन चैरिटेबल ट्रस्ट और शशिकुंज दिव्यांग क्लब के माध्यम से 'मिस्टर एंड मिस अहमदाबाद दिव्यांगजन स्पर्धा' का आयोजन किया गया। जिसमें अलग-अलग कैटेगरी के करीब 40 दिव्यांगजन ने हिस्सा लिया। जिसमें...

राजीव गोसालिया - मिस अहमदाबाद दिव्यांगजन

साहिल मंसूरी - मिस्टर अहमदाबाद दिव्यांगजन

ओम पटेल- मिस्टर अहमदाबाद हैंडसम दिव्यांगजन

वृषा पटेल - मिस अहमदाबाद ब्यूटी फुल दिव्यांगजन

जय गागंडिया - मिस्टर अहमदाबाद टैलेंट दिव्यांगजन

उर्वी राठी- मिस अहमदाबाद टैलेंट दिव्यांगजन

उपरोक्त छह दिव्यांगजनों को विजेता होने के लिए सम्मानित किया गया।

दिव्यांगजनों के लाभ के लिए इस तरह का आयोजन पहली बार किया गया और सभी वर्गों के दिव्यांगजनों ने इस कार्यक्रम में उत्साह से हिस्सा लिया ।

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट
(N.G.O.)
संचालित
ॐकार दिव्यांग ट्रेनींग डे-केर सेन्टर
मानसिक दिव्यांग बच्चों के
लिए नि:शुल्क तालीमी संस्था
शाला में प्रवेश के लिए संपर्क करे
सुमेल ५, हाउस नं.: 48/डी, बिझनेश पार्क,
चामुंडा ब्रीज कोर्नर, असारवा,
अहमदाबाद-380 016
मो. : 99749 55125, 99749 55365